न्यायालय सिविल जज(जू०डि०)/न्यायिक मजिस्ट्रेट, घाटमपुर, कानपुर देहात

मूलवाद सं० 57/2014
UPRN180000392014

जयकरन बनाम सत्य नारायण आदि

निस्तारण प्रार्थना पत्र 36 ग 2 अन्तर्गत आदेश 9 नियम 7 सी०पी०सी०

दिनांक – 30/04/2025

पत्रावली पेश हुई। पुकार कराई गई। पुकार पर उभय पक्ष मय विद्वान अधिवक्ता न्यायालय उपस्थित।

प्रतिवादिनी संगीता तर्फ प्रार्थना पत्र 36 ग 2 अन्तर्गत आदेश 9 नियम 7 सपठित धारा 151 सी०पी०सी० मय शपथ पत्र 37 ग 2 प्रस्तुत कर कथन किया गया है कि प्रार्थिनी कोविड 19 व अस्वस्थता के कारण उक्त वाद मे अपनी पैरवी नहीं कर पाई और तिथियों का ज्ञान न होने के कारण प्रार्थिनी के खिलाफ एक पक्षीय आदेश पारित कर दिया गया। प्रतिवादिनी द्वारा न्यायालय द्वारा पारित आदेश दिनांकित 29/08/2019 को अपास्त किये जाने की याचना की गयी है।

उक्त प्रार्थना पत्र पर वादी तर्फ आपत्ति कागज सं० 38 ग 2 मय शपथ पत्र 39 ग 2 प्रस्तुत कर कथन किया गया है कि प्रतिवादिनी लगातार माननीय न्यायालय में जानकारी होने के बाद उपस्थित नहीं आने पर माननीय न्यायालय ने दिनांक 29/08/2019 को एक पक्षीय कार्यवाही की है जबकि प्रतिवादिनी को वाद की पूर्ण जानकारी रही। प्रतिवादिनी द्वारा प्रस्तुत उक्त प्रार्थना पत्र को निरस्त किये जाने की याचना की गयी है।

उभय पक्ष के विद्वान अधिवक्ता को सुना व पत्रावली का अवलोकन किया।

पत्रावली के अवलोकन से विदित हुआ कि प्रतिवादिनी संगीता देवी द्वारा मियाद अधिनियम की धारा 5 के अन्तर्गत कोई प्रार्थना पत्र प्रस्तुत नहीं किया गया है। प्रतिवादिनी द्वारा उक्त प्रार्थना पत्र लगभग 2 वर्ष देरी से दिया गया है और प्रार्थना पत्र में देरी का कोई उचित कारण नहीं दर्शाया गया है। मामले के तथ्यों एवं परिस्थितियों को दृष्टिगत रखते हुए प्रतिवादिनी संगीता देवी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र 36 ग 2 अन्तर्गत आदेश 9 नियम 7 सी०पी०सी० खारिज किये जाने योग्य है।

आदेश

प्रतिवादिनी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र 36 ग 2 अन्तर्गत आदेश 9 नियम 7 सी०पी०सी० खारिज किया जाता है। पत्रावली वास्ते अग्रिम कार्यवाही दिनांक 28/05/2025 को पेश हो।

(धर्मेन्द्र सिंह यादव)
सिविल जज(जू०डि०),
घाटमपुर, कानपुर देहात
यू०पी० 3562

Digitally signed by DHARMENDER SINGH YADAV
Date: 2025.04.30 16:41:40 IST
Reason: Document Owner
Location: District and Sessions Court